वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

संख्या-1/2017/एस0ई0-155/दस-17-बीमा-1/2016

प्रेषक,

राज रतन,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2017

विषय:- अनुदान संख्या-66 के अंतर्गत सामूहिक बीमा निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये लेखा अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के लेखाशीर्षक-"2049-ब्याज अदायगियॉ-03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-108-बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-03- कर्मचारी सामूहिक बीमा पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश (भारित)" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 2276696 हजार में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये लेखा अनुदान रू0 948623 हजार (रूपया चौरानब्बे करोड छियासी लाख तेईस हजार मात्र) व्यय करने हेतु, उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/ निर्देशों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक-यथोक्त । भवदीय

(राज रतन)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/एस0ई0-155(1)/दस-17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।